

मतदाता मार्गदर्शिका

भारत निर्वाचन आयोग

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)



हमारा लक्ष्य :
कोविड से सुरक्षित
निर्वाचन



कोविड-19 के दौरान सुरक्षित निर्वाचन

मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स




सभी व्यक्तियों की तापमान जांच



सैनिटाइज़र, साबुन और पानी



सामाजिक दूरी



लम्बी कतारों से बचने के लिए टोकन प्रणाली



डाक मतपत्र की सुविधा




निम्नलिखित श्रेणियों को फॉर्म 12-घ भर के डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है

1. वरिष्ठ नागरिक; (80 वर्ष से अधिक आयु के)#
2. निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए दिव्यांगजन#
3. कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति##

इन श्रेणियों में से जिन मतदाताओं का डाक मतपत्र आवेदन स्वीकृत होगा, वे चुनाव के दिन मतदान केन्द्र पर वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्हें डाक मतपत्र से ही मतदान करना होगा।

बीएलओ उक्त निर्वाचकों के घर जाकर उन्हें फॉर्म 12-घ वितरित करेंगे। यदि निर्वाचक डाक मतपत्र का चयन करते हैं, तो बीएलओ निर्वाचन अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-घ ले कर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेंगे

जो निर्वाचक घर / संस्थागत क्वारंटीन में हैं वे निर्वाचन अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर अपने रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-घ जमा कर सकते हैं। फॉर्म के साथ सक्षम प्राधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नियुक्त) से क्वारंटीन प्रमाण पत्र भी देना होगा



मतदान केंद्र का आवश्यक सैनिटाइजेशन

प्रत्येक मतदान केंद्र में अपेक्षाकृत निर्वाचकों की संख्या कम होगी तथा मतदान का समय भी एक घंटे बढ़ा दिया गया है

सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक*

<1000 निर्वाचक

*नकलस प्रभावित क्षेत्रों में अलग समय होगा


1

याद रखें: मास्क, सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी



मतदान दिवस पर

मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया जाता है



6 फीट की दूरी



मतदान केंद्र का पता लगाएं:

- voterportal.eci.gov.in पर जाएँ
 - 1950 पर एसएमएस करें:
- ECIPS <space> <EPIC No>**
- **वोटर हेल्पलाइन ऐप** प्रयोग करें

मतदान दिवस के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश

यदि तापमान दो बार मापने पर भी निर्धारित मापदंड से ऊपर आता है, तो निर्वाचक को कोविड-19 के निवारक उपायों का पालन करते हुए, मतदान के अंतिम घंटे में आकर मतदान करना होगा।



अपना मास्क, ग्लव्स पहनें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें

किसी भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं

*मतदाता पर्ची **वोटर हेल्पलाइन ऐप** से भी निकाली जा सकती है।



कोई मतदाता न छूटे

अपना अनमोल वोट ऐसे डाले



मतदाता शारीरिक
दूरी बनाए रखते हुए
कतार में खड़े होंगे

मतदाता को
ग्लव दिया
जायेगा



पहला मतदान
अधिकारी मतदाता सूची
में आपका नाम और
आपका पहचान-पत्र
जाँचेगा। पहचान के
लिए मतदाता को मास्क
नीचे करना होगा



दूसरा मतदान
अधिकारी अमिट स्याही
से उंगली के नाखून पर
निशान लगाएगा, एक
पर्ची देगा और आपके
हस्ताक्षर लेगा

तीसरा मतदान अधिकारी
पर्ची लेगा और आपकी उंगली
के नाखून पर लगे निशान
की जांच करेगा

मतदाता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में
मत डालने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार के
सामने वाला बटन दबाएँ; बीप की आवाज के साथ
लाल बत्ती जलेगी। वीवीपैट विंडो पर ग्लास के जरिए
मुद्रित पेपर पर्ची को देखेगी।




इनमें से कोई
नहीं (नोटा) अंतिम
विकल्प के रूप में
उपलब्ध है



मतदान के अंतिम घंटे के दौरान की प्रक्रिया

मतदान केन्द्र के अन्दर एक बार में एक मतदाता पीपीई किट पहन कर जाएंगे



ईवीएम - वीवीपैट में मत डालने के बाद, लेकिन मतदान केंद्र से निकलने के पूर्व, मतदाता पहने हुए ग्लव्स को कूड़ेदान में डाल देगे और अपने हाथों को सैनिटाइज करेगे




कोविड संबंधी लक्षण वाले निर्वाचक मतदान के अंतिम घंटे में मत डालेंगे। मतदान बूथ के अंदर सभी कर्मियों को उनकी सुरक्षा हेतु पीपीई किट दिए जाएंगे।



कोई मतदाता न छूटे

ईवीएम-वीवीपैट का प्रयोग करते हुए अपना मत कैसे डालें


1



बूथ में जाएं

जब आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे तो पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को चालू कर देगा

2



अपना मत डालें


अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाएं



पर्ची शीशे के पीछे लगभग 7 सेकंड्स तक दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची मतदाता को नहीं दी जाएगी



3



बत्ती देखें

चयन किए हुए उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने एक लाल बत्ती जलेगी

4



नोट:

यदि आपको बैलेट पर्ची न दिखाई दे या बीप की तेज़ आवाज़ न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें

अपना मत सत्यापित करें वीवीपैट चुने गए उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची को प्रिंट करेगा


5

याद रखें: मास्क, सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी



मतदाताओं के लिए आवश्यक सूचना

→ मतदाता सूची में अपना नाम खोजें:



- वेबसाइट पर जाएं
voterportal.eci.gov.in
ce0_____.nic.in
- 1950 पर SMS करें:
ECI <space> <EPIC No>
- **वोटर हेल्पलाइन ऐप** प्रयोग करें


वोट डालने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना आवश्यक है

→ उम्मीदवारों की जानकारी के लिए

- **वोटर हेल्पलाइन ऐप** प्रयोग करें

→ डाक मतपत्र की सुविधा के लिए

- 1950 पर कॉल करें
- बीएलओ से संपर्क करें



→ किसी भी चुनाव संबंधी जानकारी के लिए

1950
हेल्पलाइन पर कॉल करें



→ अपने मतदान केंद्र का पता लगाएं:

- voterportal.eci.gov.in पर जाएं
- 1950 पर एसएमएस करें:
ECIPS <space> <EPIC No>
- **वोटर हेल्पलाइन ऐप** प्रयोग करें

→ अपने बीएलओ को जानें:

- बीएलओ का नाम:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- बीएलओ का संपर्क नं:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 1950 पर एसएमएस करें:
ECICONTACT <space> <EPIC No>



कोई मतदाता न छूटे

स्वीकृत पहचान दस्तावेज

मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

आधार कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड

पैन कार्ड

पासबुक

बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटो सहित जारी

स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी

ड्राइविंग लाइसेंस

पासपोर्ट

सेवा पहचान पत्र

फोटो सहित राज्य / केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए हो

स्मार्ट कार्ड

एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए

पेंशन दस्तावेज

फोटो सहित

आधिकारिक पहचान-पत्र

एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी किया हुआ

दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं

मास्क हमेशा पहनें



रैंप और व्हील चेयर



दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए वाहन की सुविधा

ब्रेल सहित ईवीएम



मतदाता सहायता बूथ

सांकेतिक भाषा



दिशा संकेत

विशेष वॉलेंटियर



दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता

मतदान केंद्र पर अन्य सुविधाएं

- अलग-अलग कतारें
- पेयजल
- प्राथमिक उपचार
- प्रतीक्षालय
- शौचालय

ऑनलाइन रजिस्टर करें
अथवा अपने विवरण का
www.nvsp.in पर सत्यापन करें

@ECISVEEP

@ECISVEEP

FB.com/ECI

Youtube.com/ECI



1950 मतदाता हेल्पलाइन

वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करें

पीडब्ल्यूडी ऐप इंस्टॉल करें